

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-अजमेर/एफ.05324/2024/393 दिनांक : 23-05-24

आदेश

श्रीमती रीता गेरियानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर जिनकी जन्म तिथि 13.08.1964 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.08.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रीता गेरियानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-अजमेर/एफ.05324/2024/393 दिनांक : 23-05-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. श्रीमती रीता गेरियानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7194370

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 05:57:34